

## थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ 02

### नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में आगामी त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु जनपद में अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण, परिवहन की रोकथाम तथा उसमें लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 20.03.23 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार गुप्ता द्वारा गठित की गयी उ0नि0 महानंद त्रिपाठी व उ0नि0 देवेन्द्र पाण्डेय के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण 1. साहब सिंह पुत्र मोहनलाल पाल 2. कुलदीप पाल पुत्र टीकाराम पाल को एक प्लास्टिक के झोले में क्रमशः 20 व 18 अदद क्वार्टर देशी शराब ठेका नाजायज शराब बरामद करते हुये बिलखी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 54/2023 व 55/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 महानंद त्रिपाठी
2. उ0नि0 देवेन्द्र पाण्डेय
3. हे0का0 राघवेन्द्र सिंह
4. का0 सत्यदेव सिंह

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. साहब सिंह पुत्र मोहनलाल पाल उम्र करीब 34 वर्ष
2. कुलदीप पाल पुत्र टीकाराम पाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी गण बम्हौरी खुर्द थाना कुलपहाड जनपद महोबा

बरामदगी – कुल 38 अदद क्वार्टर देशी शराब ठेका नाजायज





## थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में आगामी त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु जनपद में अपराध की रोकथाम एवं शांतिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 21.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार राय द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 20/2023 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना महोबकंठ मे वांछित अभियुक्त नवाब सिंह पुत्र रंजीत सिंह उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम थुरट थाना अजनर महोबा को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बगरौनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार राय थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. हे0का0 श्यामकिशोर थाना महोबकंठ जनपद महोबा

### गिरफ्तार अभियुक्त-

नवाब सिंह पुत्र रंजीत सिंह उम्र करीब 24 वर्ष ग्राम थुरट थाना अजनर महोबा





## जनपद जालौन द्वारा पुरस्कार घोषित 25,000/- रुपये के ईनामिया वांछित अभियुक्त को थाना कबरई पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं शांतिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 21.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जनपद जालौन के थाना डकोर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 92/22 धारा 380/411 भादवि का 25,000 रुपये का इनामिया वांछित अभियुक्त भोला उर्फ बरदानी कुशवाहा पुत्र रामदास कुशवाहा को मुखबिर की सूचना पर मकबरई रेलवे क्रासिंग डहर्ना मोड़ थाना कबरई जनपद महोबा से हिरासत पुलिस में लिया गया। जिसकी जामा तलाशी से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नायाजय बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 57/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी की सूचना जरिये दूरभाष थाना डकोर जनपद जालौन को विधिक कार्यवाही हेतु दी गयी। आवश्यक विधिक कार्यवाही कर गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह
2. उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश
3. कां0 जय प्रकाश
4. कां0 अवनेश कुमार
5. म0कां0 निशी अग्निहोत्री

### गिरफ्तार अभियुक्त-

भोला उर्फ बरदानी कुशवाहा पुत्र रामदास कुशवाहा उम्र करीब 25 वर्ष निवासी मकबरई थाना कबरई जनपद महोबा

### अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 92/22 धारा 380/411 भादवि थाना डकोर जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0 313/2019 धारा 380/411/419/420/457/467/468 भादवि थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर





## थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 21.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री गणेश कुमार गुप्ता द्वारा गठित टीम के उ0नि0 शशांक देव शुक्ला द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्त 1.रामकिशोर पुत्र कट्टा अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष ,सम्बन्धित मु.सं.1388/2020 अ.सं.266/2015 धारा 279/338 भादवि से ग्राम ढिकवाहा थाना श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया तथा 2. जीतेन्द्र पुत्र प्रताप राजपूत उम्र करीब 27 वर्ष, सम्बन्धित मु.सं.159/2019 अ.सं.85/19 धारा 13 जी एक्ट में ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। जिनको बाद गिरफ्तारी आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 शशांक देव शुक्ला
2. हे.का. राघवेन्द्र सिंह

## गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.रामकिशोर पुत्र कट्टा अहिरवार उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम ढिकवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा
- 2.जीतेन्द्र पुत्र प्रताप राजपूत उम्र करीब 27 वर्ष नि.ग्रा. सिजवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा





## थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा शांति भंग करने वाले 07 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध की गयी निरोधात्मक कार्यवाही -

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में आगामी त्यौहारों के दौरान कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु जनपद में अपराध की रोकथाम एवं शांतिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 21.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा संयुक्त टीम का गठन किया गया था। जिसमें संयुक्त टीमों द्वारा प्रार्थना पत्रों की जांच करते हुये 07 नफर अभियुक्तगणों को भिन्न-भिन्न स्थानों से नियमानुसार हिरासत पुलिस मे लेकर चालानी रिपोर्ट तैयार कर माननीय न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय चरखारी के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

## गिरफ्तार करने वाली संयुक्त टीम-

- 1.उ०नि० प्रवीण कुमार सिंह
- 2.उ.नि.राजकुमार यादव
- 3.उ.नि.रविन्द्र नाथ पाण्डेय
- 4.उ.नि.सत्येन्द्र सिंह
5. का.हिमांशु कुमार
- 6.का.अमन कोष्ठा
- 7.का.पंकज यादव
- 8.का.संदीप कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा

## गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.दिनेश कुमार उम्र 42 वर्ष
- 2.दीपक कुमार उम्र 28 वर्ष
- 3.राजेश कुमार उम्र 46 वर्ष
- पुत्रगण रामप्रकाश निवासीगण मु.हाथीखाना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा
- 4.शेख अबरार पुत्र शेख याकूब उम्र 52 वर्ष नि.मु.हाथीखाना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा
- 5.नरोत्तम दास कुशवाहा उर्फ चरन पुत्र केशवदास कुशवाहा उम्र 27 वर्ष नि.ग्राम बम्हौरी कला (मठियाई) थाना चरखारी जनपद महोबा
6. रामप्रकाश यादव पुत्र अमोल सिंह यादव निवासी ग्राम टोलासोयम थाना चरखारी जिला महोबा उम्र 26 वर्ष
- 7.अखिलेश कुमार पुत्र दिल्लीपत उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम सबुआ थाना चरखारी जिला महोबा





## थाना खन्ना पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 21.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी सदर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना खन्ना प्रभारी निरीक्षक श्री उमेश कुमार कुशवाहा द्वारा गठित टीम के उ0नि0 आवेश अहमद द्वारा पेंडिंग अहकामात व तलाश वांछित/वारंटी के दौरान ग्राम मवईखुर्द से 01 नफर वारण्टी अभियुक्त विश्वनाथ पुत्र बलदेव प्रजापति उम्र करीब 60 वर्ष को मु.न. 1322/16 एनसीआर न0- 23/15 धारा 323/504 भादवि थाना कोतवाली महोबा के सम्बन्ध में हिरासत पुलिस में लिया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तारी अभियुक्त-

विश्वनाथ पुत्र बलदेव प्रजापति उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम मवईखुर्द थाना खन्ना जनपद महोबा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आवेश अहमद
2. का0 महेन्द्र मौर्या
3. का0 रमेश कुमार





## पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये

### रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **21.03.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के 90 ई-चालान किये गये ।

